अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2021 / 1028 रीवा, दिनांक 5.08.21

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत कला संकाय अन्तर्गत **संस्कृत** के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनाक से तीन वर्ष की होगी :–

संस्कृत अध्ययन मण्डल

अधिनियम	28(2) एक	1	रिक्त
	28(2) दो	1.	डॉ0 सुरेश प्रताप सिह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, सस्कृत शास0 महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला–सतना (म0प्र0)
		2.	डॉ0 प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, संस्कृत, शास0 महाविद्यालय, मऊगंज, जिला–रीवा (म0प्र0)
	28(2) तीन	1.	रिक्त
	28(2) चार	1.	डॉ0 उपेन्द्र पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक एव विभागाध्यक्ष, संस्कृत, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय जवा, जिला–रीवा (म0प्र0)
		2.	डॉ0 भोला सिंह कुशराम, सहायक प्राध्यापक एव विभागाध्यक्ष, सस्कृत, शास0 सजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, जिला–सीधी (म0प्र0)
	28(2) पॉच	1.	प्रो0 राममनोज द्विवेदी, प्राध्यापक, सस्कृत, जनता महाविद्यालय, जिला–रीवा (म0प्र0)
		2.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी, प्राध्यापक, संस्कृत, शास0 टी0आर0एस0 महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत **डॉ0 सुरेश प्रताप सिंह** को **संस्कृत** अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

5/8/21
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, कला संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
8. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

Asha Anuragi

Scanned with OKEN Scanner